

## उत्तर प्रदेश शासन

ऊजा अनुभाग-2

संख्या- 504/24-पी-2-22-सा0(34)2021

लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022

### कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एकट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री संजय कुमार दत्त को निदेशक(प्रोजेक्ट एण्ड कामर्शियल), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

- (1) श्री संजय कुमार दत्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर को जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री संजय कुमार दत्त पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्त लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।

( एम० देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 504(1) /24-पी-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केरको, कानपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- ५८५/२४-पी-२-२२-सा०(३४)२०२१  
लखनऊ: दिनांक २० मई, २०२२

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एकट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री राकेश प्रसाद को निदेशक(का०प्र०० एवं प्रशा०), उ०प्र०० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

- (1) **श्री राकेश प्रसाद** कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ३ वर्ष की अवधि या ६२ वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ०प्र०० शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा ०३ माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले ०३ माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) **श्री राकेश प्रसाद** पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-३२०५ पी-२/२००३-२४-१(१७)/२००३, दिनांक ११.११.२००३ एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-९०/२४-पी-२-२०१०, दिनांक २०.०१.२०११ में उल्लिखित सेवा शर्ते लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।

( एम० देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: ५८५(१) / २४-पी-२-२०२२, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— महालेखाकार, उ०प्र०० प्रयागराज।
- 2— अध्यक्ष, उ०प्र०० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०० पावर कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6— प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7— सम्बन्धित अधिकारी।
- 8— जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9— मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11— ऊर्जा अनुभाग-१/३ एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
*भवानी सिंह खंगरात*  
( भवानी सिंह खंगरात )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
 ऊर्जा अनुभाग-2  
 संख्या- ५८६ /२४-पी-२-२२-सा०(३४)२०२१  
लखनऊ: दिनांक २० मई, २०२२  
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एकट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री पीयूष गर्ग को निदेशक(आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

- (1) श्री पीयूष गर्ग कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ३ वर्ष की अवधि या ६२ वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा ०३ माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले ०३ माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री पीयूष गर्ग पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-३२०५ पी-२/२००३-२४-१(१७)/२००३, दिनांक ११.११.२००३ एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-९०/२४-पी-२-२०१०, दिनांक २०.०१.२०११ में उल्लिखित सेवा शर्ते लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।
- (3) श्री पीयूष गर्ग के निदेशक(आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के पद पर तैनाती अवधि में उनके मूल पद पर धारणाधिकार बना रहेगा।

( एम० देवराज )  
 प्रमुख सचिव ।

संख्या: ५८६(१) /२४-पी-२-२०२२, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज ।
- 2— अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
- 3— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ ।
- 4— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्तिभवन, लखनऊ ।
- 5— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ ।
- 6— प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर ।
- 7— सम्बन्धित अधिकारी ।
- 8— जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ ।
- 9— मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ ।
- 10— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग ।
- 11— ऊर्जा अनुभाग-१/३ एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ ।
- 12— गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

( भवानी सिंह खंगारौत )  
 विशेष सचिव ।

उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या-५०७/२४-पी-२-२२-सा०(३४)२०२१  
लखनऊ: दिनांक २० मई, २०२२

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री राजीव कुमार को निदेशक(कार्य एवं परियोजना), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० के पद पर निमांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

- (1) **श्री राजीव कुमार** कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ३ वर्ष की अवधि या ६२ वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा ०३ माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले ०३ माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) **श्री राजीव कुमार** पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-३२०५ पी-२/२००३-२४-१(१७)/२००३, दिनांक ११.११.२००३ एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-९०/२४-पी-२-२०१०, दिनांक २०.०१.२०११ में उल्लिखित सेवा शर्त लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।

।  
( एम० देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: ५०७(१) /२४-पी-२-२०२२, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11- ऊर्जा अनुभाग-१/३ एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

।।।।।  
( भवानी सिंह खंगरात )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- 508/24-पी-2-22-सा(34)2021  
लखनऊ: दिनांक २० मई, २०२२  
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एकट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री अमित कुमार श्रीवास्तव को निदेशक(वाणिज्य), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

- (1) श्री अमित कुमार श्रीवास्तव कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री अमित कुमार श्रीवास्तव पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्ते लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।
- (3) श्री अमित कुमार श्रीवास्तव के निदेशक(वाणिज्य), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पद पर तैनाती अवधि में उनके मूल पद पर धारणाधिकार बना रहेगा।

( एम० देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: ५०८०/२४-पी-२-२०२२, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2— अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6— प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7— सम्बन्धित अधिकारी।
- 8— जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9— मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11— ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
 ऊर्जा अनुभाग-2  
 संख्या- ५८९/२४-पी-२-२२-सा०(३४)२०२१  
लखनऊ: दिनांक १० मई, २०२२  
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एकट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री सर्वजीत घोष को **निदेशक(आई०टी०)**, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

- (1) **श्री सर्वजीत घोष** कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ३ वर्ष की अवधि या ६२ वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा ०३ माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले ०३ माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) **श्री सर्वजीत घोष** पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-३२०५ पी-२/२००३-२४-१(१७)/२००३, दिनांक ११.११.२००३ एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-९०/२४-पी-२-२०१०, दिनांक २०.०१.२०११ में उल्लिखित सेवा शर्त लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।

( एम० देवराज )  
**प्रमुख सचिव।**

संख्या: ५८९(१) / २४-पी-२-२०२२, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2— अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6— प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7— सम्बन्धित अधिकारी।
- 8— जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9— मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11— ऊर्जा अनुभाग-१/३ एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
*॥२५५॥*  
 ( भवानी सिंह खंगारौत )  
 विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या-५९० /२४-पी-२-२२-सा०(३४)२०२१  
लखनऊ: दिनांक २० मई, २०२२  
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री कमलेश बहादुर सिंह को निदेशक(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के पद पर निमांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

- (1) **श्री कमलेश बहादुर सिंह** कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ३ वर्ष की अवधि या ६२ वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा ०३ माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले ०३ माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) **श्री कमलेश बहादुर सिंह** पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-३२०५ पी-२/२००३-२४-१(१७)/२००३, दिनांक ११.११.२००३ एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-९०/२४-पी-२-२०१०, दिनांक २०.०१.२०११ में उल्लिखित सेवा शर्ते लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।

( ए० देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: ५९०(१) /२४-पी-२-२०२२, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- २- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ३- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
- ४- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्तिभवन, लखनऊ।
- ५- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
- ६- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- ७- सम्बन्धित अधिकारी।
- ८- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- ९- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- १०- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- ११- ऊर्जा अनुभाग-१/३ एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- १२- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- ५९१ /२४-पी-२-२२-सा०(३४)२०२१  
लखनऊ: दिनांक २० मई, २०२२

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री हेमेन्द्र कुमार अग्रवाल को निदेशक(वित्त), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

- (1) श्री हेमेन्द्र कुमार अग्रवाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ३ वर्ष की अवधि या ६२ वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा ०३ माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले ०३ माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री हेमेन्द्र कुमार अग्रवाल पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-३२०५ पी-२/२००३-२४-१(१७)/२००३, दिनांक ११.११.२००३ एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-९०/२४-पी-२-२०१०, दिनांक २०.०१.२०११ में उल्लिखित सेवा शर्ते लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।
- (3) श्री हेमेन्द्र कुमार अग्रवाल के निदेशक(वित्त), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा के पद पर तैनाती अवधि में उनके मूल पद पर धारणाधिकार बना रहेगा।

( एम० देवराज )  
प्रमुख सचिव ।

संख्या: ५९१(१) /२४-पी-२-२०२२, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1— महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2— अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6— प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7— सम्बन्धित अधिकारी।
- 8— जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9— मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11— ऊर्जा अनुभाग-१/३ एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से, १५/५/२०२२  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- 592/24-पी-2-22-सा0(34)2021  
लखनऊ: दिनांक २० मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एकट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ॲफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री संतोष कुमार जाड़िया को निदेशक(वित्त), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

- (1) श्री संतोष कुमार जाड़िया कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ३ वर्ष की अवधि या ६२ वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा ०३ माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले ०३ माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री संतोष कुमार जाड़िया पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-३२०५ पी-२/२००३-२४-१(१७)/२००३, दिनांक ११.११.२००३ एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-९०/२४-पी-२-२०१०, दिनांक २०.०१.२०११ में उल्लिखित सेवा शर्त लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।

( एम० देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: ५९२(१) २४-पी-२-२०२२, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2— अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6— प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केरल, कानपुर।
- 7— सम्बन्धित अधिकारी।
- 8— जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9— मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11— ऊर्जा अनुभाग-१/३ एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12— गार्ड फाइल।

अज्ञा से  


( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
 ऊर्जा अनुभाग-2  
 संख्या- 593 /24-पी-2-22-सा0(34)2021  
 लखनऊ: दिनांक २० मई, २०२२

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एकट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ॲफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री निधि कुमार नारंग को निदेशक(वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

- (1) श्री निधि कुमार नारंग कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ३ वर्ष की अवधि या ६२ वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा ०३ माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले ०३ माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री निधि कुमार नारंग पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-३२०५ पी-२/२००३-२४-१(१७)/२००३, दिनांक ११.११.२००३ एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-९०/२४-पी-२-२०१०, दिनांक २०.०१.२०११ में उल्लिखित सेवा शर्त लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।

( एम० देवराज )  
 प्रमुख सचिव।

संख्या: ५९३ (१) / २४-पी-२-२०२२, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11- ऊर्जा अनुभाग-१/३ एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( भवानी सिंह खंगारौत )  
 विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- 594 / 24-पी-2-22-सा०(34)2021  
लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एकट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को निदेशक(तकनीकी), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

- (1) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्ते लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।
- (3) श्री अजय कुमार श्रीवास्तव के निदेशक(तकनीकी), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ के पद पर तैनाती अवधि में उनके मूल पद पर धारणाधिकार बना रहेगा।

( एम० देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 594(1) / 24-पी-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2— अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6— प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7— सम्बन्धित अधिकारी।
- 8— जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9— मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11— ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( भवानी सिंह खंगरात )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या-५९५/२४-पी-२-२२-सा०(३४)२०२१  
लखनऊ: दिनांक २० मई, २०२२

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एकट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री मृगांक शेखर दास भट्टमिश्रा को निदेशक(उ०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

- (1) श्री मृगांक शेखर दास भट्टमिश्रा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ३ वर्ष की अवधि या ६२ वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा ०३ माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले ०३ माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री मृगांक शेखर दास भट्टमिश्रा पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-३२०५ पी-२/२००३-२४-१(१७)/२००३, दिनांक ११.११.२००३ एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-९०/२४-पी-२-२०१०, दिनांक २०.०१.२०११ में उल्लिखित सेवा शर्ते लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।

( उ०प्र० देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: ५९५(१)/२४-पी-२-२०२२, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- २- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ३- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
- ४- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्तिभवन, लखनऊ।
- ५- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
- ६- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केरको, कानपुर।
- ७- सम्बन्धित अधिकारी।
- ८- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- ९- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- १०- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- ११- ऊर्जा अनुभाग-१/३ एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- १२- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
५६१८

( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
 ऊर्जा अनुभाग-2  
 संख्या- 596 / 24-पी-2-22-सा०(34)2021  
लखनऊ: दिनांक २० मई, २०२२  
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एकट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री सचीन्द्र कुमार पुरवार को निदेशक(पी० एण्ड एम०), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

- (1) श्री सचीन्द्र कुमार पुरवार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ३ वर्ष की अवधि या ६२ वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा ०३ माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले ०३ माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री सचीन्द्र कुमार पुरवार पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-३२०५ पी-२/२००३-२४-१(१७)/२००३, दिनांक ११.११.२००३ एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-९०/२४-पी-२-२०१०, दिनांक २०.०१.२०११ में उल्लिखित सेवा शर्त लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।
- (3) श्री सचीन्द्र कुमार पुरवार के निदेशक(पी० एण्ड एम०), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ के पद पर तैनाती अवधि में उनके मूल पद पर धारणाधिकार बना रहेगा।

( एम० देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: ५९६(१) / २४-पी-२-२०२२, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2— अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6— प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7— सम्बन्धित अधिकारी।
- 8— जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9— मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11— ऊर्जा अनुभाग-१/३ एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( भवानी सिंह खंगरौत )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- 597/24-पी-2-22-सा0(34)2021  
लखनऊ: दिनांक २० मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एकट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री राजेन्द्र प्रसाद को **निदेशक(वाणिज्य), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिंग, वाराणसी** के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

- (1) **श्री राजेन्द्र प्रसाद** कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) **श्री राजेन्द्र प्रसाद** पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्ते लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।
- (3) **श्री राजेन्द्र प्रसाद** के **निदेशक(वाणिज्य), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिंग, वाराणसी** के पद पर तैनाती अवधि में उनके मूल पद पर धारणाधिकार बना रहेगा।

( एम० देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 597(1) /24-पी-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2— अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिंग, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिंग, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिंग शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिंग, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6— प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिंग, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिंग, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिंग, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिंग, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7— सम्बन्धित अधिकारी।
- 8— जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9— मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11— ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12— गार्ड फाइल।

\ \ आज्ञा से,  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- 598 /24-पी-2-22-सा0(34)2021  
लखनऊ: दिनांक 20 मई, 2022  
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एकट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री राजीव शर्मा को निदेशक(का० एवं प्र०), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा के पद पर निम्नांकित प्रतिबधों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

- (1) श्री राजीव शर्मा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा 03 माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले 03 माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) श्री राजीव शर्मा पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3205 पी-2/2003-24-1(17)/2003, दिनांक 11.11.2003 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-90/24-पी-2-2010, दिनांक 20.01.2011 में उल्लिखित सेवा शर्ते लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।
- (3) श्री राजीव शर्मा के निदेशक(का० एवं प्र०), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा के पद पर तैनाती अवधि में उनके मूल पद पर धारणाधिकार बना रहेगा।

( एम० देवराज )  
प्रमुख सचिव।

संख्या: 598(1) /24-पी-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी।
- 8- जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9- मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11- ऊर्जा अनुभाग-1/3 एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन  
ऊर्जा अनुभाग-2  
संख्या- ५९९ / २४-पी-२-२२-सा०(३४)२०२१

लखनऊ: दिनांक २० मई, २०२२

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय दि कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत गठित मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन के सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर श्री योगेश कुमार को **निदेशक(वाणिज्य), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिला०, लखनऊ** के पद पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

- (1) **श्री योगेश कुमार** कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ३ वर्ष की अवधि या ६२ वर्ष की आयु प्राप्त होने अथवा उ०प्र० शासन द्वारा अन्यथा आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी परन्तु इसकी समाप्ति किसी भी पक्ष द्वारा ०३ माह की नोटिस देकर की जा सकती है। राज्य सरकार को यह विकल्प होगा कि नोटिस के बदले ०३ माह के वेतन का भुगतान कर सकती है।
- (2) **श्री योगेश कुमार** पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-३२०५ पी-२/२००३-२४-१(१७)/२००३, दिनांक ११.११.२००३ एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-९०/२४-पी-२-२०१०, दिनांक २०.०१.२०११ में उल्लिखित सेवा शर्त लागू होंगी एवं उनकी सेवायें संविदा के आधार पर मानी जायेगी।
- (3) **श्री योगेश कुमार** के **निदेशक(वाणिज्य), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिला०, लखनऊ** के पद पर तैनाती अवधि में उनके मूल पद पर धारणाधिकार बना रहेगा।

( एम० देवराज )  
प्रमुख सचिव।

**संख्या: ५९९(१) २४-पी-२-२०२२, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2— अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिला०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिला०, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 4— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिला० शक्तिभवन, लखनऊ।
- 5— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिला०, शक्तिभवन, लखनऊ।
- 6— प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिला०, लखनऊ/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिला०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिला०, मेरठ दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिला०, आगरा एवं प्रबन्ध निदेशक, केरल, कानपुर।
- 7— सम्बन्धित अधिकारी।
- 8— जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, लखनऊ।
- 9— मुख्य सचिव के निजी सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 10— निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग।
- 11— ऊर्जा अनुभाग-१/३ एवं निजी (निवेश) प्रकोष्ठ।
- 12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
( भवानी सिंह खंगारौत )  
विशेष सचिव।